न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 09 / 2020

1. माफी मंदिर श्री सीताराम बनाम रूघनाथदास चेला सेवादास महन्त स्वामी विराजमान ग्राम बेरखेडा तहसील महवा जिला दौसा जरिये भक्तगणः—
2. कैलाशचन्द मीना पुत्र रेवडमल जाति मीना
3. भीखाराम पुत्र मूलचन्द्र जाति मीना
4. श्रीकिशन पुत्र कंचन जाति मीना
5. रामस्वरूप पुत्र मूल्याराम जाति मीना
6. नहन्या पुत्र किशनलाल जाति मीना
7. भगवतसिंह पुत्र नानगराम जाति गुर्जर
8. प्रकाश पुत्र बीरबल जाति गुर्जर
9. आरामी पुत्र गिर्राज जाति गुर्जर
10. हीरालाल पुत्र मूलचन्द जाति बैरवा
11. बाबूलाल पुत्र खैरातीलाल जाति बैरवा
12. हनुमत पुत्र किशोर जाति गुर्जर
13. प्रभूदयाल पुत्र बाबूलाल जाति जोगी
14. सेड़्याराम पुत्र गंगाधर जाति कोली
15. गोविन्दा राम पुत्र कन्हैया जाति कोली
16. रामजीलाल पुत्र टोडयाराम जाति बैरवा
17. काडूराम पुत्र उम्मेदीलाल जाति माली
18. भगवानसहाय पुत्र दीपाराम जाति प्रजापत
19. जगदीश पुत्र गंगासहाय जाति प्रजापत
20. अर्जुन पुत्र सुवाराम जाति प्रजापत
21. शिवप्रसाद पुत्र धन्ना जाति मीना
22. खिलाडी पुत्र नथ्याराम जाति माली

समस्त निवासी बेरखेडा तहसील महवा जिला दौसा

..अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महवा
2. कैलाशचन्द पुत्र कन्हैया जाति ब्राह्मण तथाकथित चेला माफी मंदिर श्री सीताराम ग्राम बेरखेडा तहसील महवा जिला दौसा

..रेस्पो0

राजस्व प्रथम अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार महवा दिनांक 19.9.2007 नामान्तरकरण सं0 278 ग्राम बेरखेडा तहसील महवा जिला दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:28:08 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित—1. श्री जगजीवन राम, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,
3. श्री ऋद्धि चंद शर्मा, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 की ओर से।

.....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामा० अपील सं० 09/2020

निर्णय

दिनांक: 08.05.2024

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, महवा ने दिनांक 19.9.2007 को नामान्तकरण सं0 278 विरासत के आधार पर भरकर तस्दीक कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में दलील दी कि नामान्तरण सं0 278 दिनांक 19.9.2007 को तहसीलदार महवा द्वारा निर्णित किया गया था, जिसका अमल राजस्व रिकार्ड में हो चुका है। रेस्पों0 सं0 2 कैलाशचन्द द्वारा मंदिर की आराजी को विक्रय करने की धमकी देने पर राजस्व रिकार्ड की जानकारी की जाकर जिला कार्यालय से दिनांक 10.8.2020 को नकल प्राप्त की गई। तहसीलदार महवा द्वारा दुरूस्ती से इन्कार करने पर पक्षकारों द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की हिदायत पर बिना किसी देरी के जानकारी से अपील अंदर मियाद पेश की जा रही है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा फरमाते हुए अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 2 द्वारा बहस में दलील दी कि अपीलांटस की ओर से माननीय न्यायालय में 13 वर्ष बाद नामान्तरण की अपील पेश की गई है। अतः प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। दफा 5 मियाद कानून पर अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

4. मूल अपील पर बहस अधिवक्तागण सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि आराजी खसरा नंबर 497 से 509 कुल किता 13 रकबा 5.12है. स्थित ग्राम बेरखेडा तहसील महवा में स्थित है जिसका गत खसरा नंबर 124 व 125 है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2013 व 2018 में माफी मंदिर श्री सीताराम बनाम रूगनाथदास चेला सेवादास महन्त स्वामी के नाम दर्ज रही है। उक्त भूमि एवं मूर्ति नागाओं की भूमि एवं मूर्ति अर्थात अविवाहित ही रही है। उक्त भूमि की जो भी सेवा करता है वह अविवाहित व्यक्ति ही होता है। उक्त आराजी संवत 2013 व 2018 में माफी मंदिर श्री सीतारामजी बनाम रूगनाथदास के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, लेकिन रूगनाथदास चेला सेवादास महन्त की मृत्यु होने पर उसकी गद्दी पर रेस्पों0 सं0 2 कैलाशचन्द आसीन हो गया तथा अपील में वर्णित भूमि को बोने जोतने तथा मंदिर सीतारामजी की पूजा अर्चना करने लग गया, जिस पर सभी ग्रामवासियों ने सहमति दे दी। माफी मंदिर श्री सीताराम की संपूर्ण ग्रामवासी बेरखेडा पूजा अर्चना करते है तथा कभी भी किसा प्रकार का [illegible] लिए चेला कैलाशदास पर भी संपूर्ण भक्तगण भरपूर भरोसा करते चले [illegible] रहे [illegible] और वह मंदिर सीताराम की पूजा अर्चना करता आ रहा है, [illegible] सीताराम [illegible] भूमि [illegible] ही खातदारी में दर्ज करवा लिया। रेस्पों0 सं0 2 कैलाशचन्द ने तहसीलदार महवा [illegible] राज करके विरासत

.....निरंतर 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:28:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का नामान्तरण सं0 278 दिनांक 19.9.2007 ग्राम बेरखेडा तहसील महवा तस्दीक करवा लिया एवं जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं होने दी जो कि निरस्त योग्य है। राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक:प.3(2)राज–6/7/19 दिनांक 25.11.2011 को एक आदेश जारी कर समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टरों को यह आदेश जारी किया गया है कि अवैधानिक रूप से मंदिर माफी की भूमि पर विधिक टीनेन्ट का नाम विलोपन के संबंध में कार्यवाही करने के संबंध में तथा इससे पूर्व भी गई बार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी निर्णय पारित कर निर्देशित किया गया है कि मंदिर माफी एवं नदी नाले चरागाह भूमि की खातेदारी किसी व्यक्ति के नाम दर्ज है तो उसे पुनः मंदिर माफी, नदी नाले या चरागाह दर्ज किया जावे लेकिन रेस्पों0 सं0 1 ने माननीय उच्च न्यायालय व राज्य सरकार के नियमों की खुल्लम खुल्ला अवहेलना कर रेस्पों0 स02 के नाम माफी मंदिर की भूमि का नामान्तरण तस्दीक कर दिया जो निरस्तनीय है। प्रश्नगत भूमि हमेशा से ही माफी मंदिर श्री सीताराम की भूमि रही है तथा उसके भक्तगण एवं सेवादार चेला द्वारा कभी भी अपने नाम नामान्तरण नहीं खुलवाया है। सेवादार चेला की मृत्यु के बाद दूसरा चेला सेवादार मंदिर सीताराम की सेवा पूजा करता रहा तथा उसकी भूमि को जोतते रहे है लेकिन रेस्पों. सं0 2 छल व बेइमानी से उक्त भूमि का नामान्तरण सरपंच, ग्राम पंचायत टुडियाना द्वारा नहीं खुलवाकर रेस्पों0 सं0 1 से साज कर अपने नाम खुलवा लिया जो अवैधानिक व नियमों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अपीलाधीन निर्णय खिलाफ तथ्य, कानून, मौका साक्ष्य, प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त व राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों तथा माननीय उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान सरकार द्वारा जारी नियमों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुए विवादित आदेश पारित किया गया है जो काबिले खारिज योग्य है। इस प्रकार विवादित नामान्तरण बने रहने से एवं उसके आधार पर वर्तमान जमाबंदी में उक्त इन्द्राज के बने रहने से अपीलांटस के अधिकारों का हनन हो रहा है। रेस्पों0 सं0 2 के द्वारा माफी मंदिर की आराजीयात में से पूर्व में 2 बीघा भूमि का रामलाल को विक्रय कर दिया गया था, तथा उसके बाद भी रेस्पों0 सं0 2 ने दिनांक 8.8.2020 को अपीलाण्टस को धमकी दी कि मंदिर की जमीन में से और भूमि का विक्रय करेगा। अपीलांटस ने तहसीलदार महवा से खातेदारी में से रेस्पों0 सं0 2 का नाम हटाने को कहने पर साफ इन्कार कर दिया तथा नामान्तरण अपील प्रस्तुत करने हेतु कहने पर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर विवादित आदेश दिनांक 19.9.2007 बाबत नामान्तरण सं0 278 ग्राम बेरखेडा तहसील महवा को निरस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी की खातेदारी माफी मंदिर सीताराम वाके ग्राम बेरखेडा तहसील महवा के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावें।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि तहसीलदार महवा के द्वारा अपीलाधीन विरासत का नामान्तरण सं. 278 [illegible] नियमानुसार तस्दीक किया गया है। रूगनाथदास चेला सेवादास महन्त [illegible] वास होने पर तहसीलदार महवा के द्वारा उसकी विरासत का नामान्तरण [illegible] नियमानुसार एवं मजमें आम में जांच करके खोला गया है। विरासत [illegible] नामान्तरण खोलने में तहसीलदार महवा द्वारा कोई त्रृटि नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

.....निरंतर 4 पर

जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:28:08 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार महवा द्वारा नामान्तरण सं0 278 वाके ग्राम बेरखेडा जो कि रघुनाथदास चेला सेवादास महन्त के स्वर्गवास होने पर कैलाश चन्द चेला रघुनाथ दास महन्त के पक्ष में विरासत का नामान्तरण खोला गया है। तहसीलदार महवा द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण विकास शिविर पंचायत समिति महवा में दिनांक 19.9.2007 को मजमे आम में तस्दीक किया गया है। सरपंच,ग्राम पंचायत टुडियाना ने दिनांक 10.4.2007 को मृतक रघुनाथ दास चेला सेवादास महन्त का वारिस कैलाश चंद चेला रघुनाथ दास को बताया है तथा तदनुरूप वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिस पर सरपंच व उप सरपंच ग्राम पंचायत टुडियाना के हस्ताक्षर हो रहे है। मजमें आम में जांच की गई है। सभी ने उक्त वारिस को सही बताया है। पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त ने भी अपनी रिपोर्ट तहरीर की है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर मृतक रघुनाथदास चेला सेवादास महन्त के स्थान पर कैलाश चन्द चेला रघुनाथ दास महन्त के पक्ष में विरासत का नामान्तरण तस्दीक किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ने कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि के लगान की रसीदें न्यायालय में पेश की गई है जिससे अप्रार्थी का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा साबित होता है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने एक अपठनीय फैसला दिनांक 12.01.1937 की प्रति पेश की है जिसमें भी उक्त भूमि के सेवादार अथवा चेले को उसका वारिस नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार महवा द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण सभी तथ्यों की जांच कर सही रूप से खोला गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

7. उभय पक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7.1 आराजी खसरा नंबर 497 से 509 कुल किता 13 रकबा 5.12है. स्थित ग्राम बेरखेडा तहसील महवा में स्थित है जिसका गत खसरा नंबर 124 व 125 है। पत्रावली में संलग्न भूमि एकीकरण खतौनी (जमाबंदी) संवत 2018 ग्राम बेरखेडा तहसील महवा के अवलोकन से निम्न स्थिति ज्ञात होती है:–

कसं	नाम भोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान	नाम कृषक पिता का नाम जाति निवास स्थान श्रेणी कृषक	खसरा नंबर	क्षेत्रफल बीघा बिस्वा में	भूमि की किस्म
114	माफी मंदिर श्री सीताराम बनाम रूगनाथ दास चेला सेवादा महन्त स्वामी सा. दे.	खुदकाश्त	124 125	08 बिस्वा 19 बीघा 17 बिस्वा	गै.मु.चाह चाही सोयम
		योग खाता	2	20 बीघा 5 बिस्वा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:28:08 IST
Reason: SelfAttested

.....निरंतर 5 पर

जिला कलक्टर,दौसा

नानाo अपील सं0 09/2020

7.2 पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2013 ग्राम बेरखेडा तहसील महवा की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

कसं	भूमि अधिकारी जागीरदार उप जागीरदारा और मालगुजार बिस्वेदार व जमींदार निवास सहित	नाम कृषक पिता का नाम जाति निवास स्थान श्रेणी कृषक	खसरा नंबर	क्षेत्रफल बीघा बिस्वा में	भूमि की किस्म
114	माफी मंदिर श्री सीताराम बनाम रूगनाथ दास चेला सेवादा महन्त स्वामी सा.दे.		348 349 364 365 366 367 368 369 370 371	1.02 1.10 2.07 2.02 2.02 0.08 6.07 2.04 1.02 1.01	चाही 3 चाही 3 चाही 3 चाही 3 चाही 3 चाही 3 चाही 3 चाही 3 चाही 3 चाही 3
		योग खाता	10	20 बीघा 5 बिस्वा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7.3 पत्रावली में शामिल नकल भूमि एकीकरण मिलान क्षेत्रफल ग्राम बेरखेडा संवत 2018 के अवलोकन से भी यह ज्ञात होता है कि वर्तमान खसरा नंबर 124 व 125 के गत खसरा नंबर 367, 348 से 349, 364 से 366, 368 से 371 से बने है। साथ ही भू प्रबंध विभाग मिलान क्षेत्रफल ग्राम बेरखेडा संवत 2050 से 2069 के अवलोकन से भूमि जिसके गत खसरा नंबर 124 व 125 थे के हाल खसरा नंबर 497 से 509 बने है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2070 से 2073 से भी खसरा नंबर 497 से 509 किता 13 कुल रकबा 5.12 है. वाके ग्राम बेरखेडा "देवताओं से संबंधित जोत...............कैलाशचन्द चेला रघुनाथदास हिस्सा पूर्ण सा.देह खोतदार अ.विव. देवताओं से संबंधित जोत" दर्ज रिकार्ड है।

राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांकःप.3(2)राज–6/7/19 दिनांक 25.11.2011 के द्वारा एक आदेश समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टरों को जारी किया जाकर यह आदेश दिये गये कि अवैधानिक रूप से मंदिर माफी की भूमि पर विधिक टीनेन्ट का नाम विलोपन के संबंध में कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2013 एवं भूमि एकीकरण खतौनी संवत 2018 के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत भूमि संवत माफी मंदिर श्री सीतारामजी बनाम रूगनाथदास चेला सेवादास महन्त स्वामी सा0देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि माफी मंदिर की भूमि रही है जिसमें पुजारी या सेवायत का नाम जमाबंदी में नहीं [illegible] चाहिए।

8.उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार [illegible] आदेश प्रदान किये जाते हैः–

.....निरंतर 6 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:28:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,दौसा

नामा0 अपील सं0 09/2020

1. अप़ीलाधीन नामान्तरण सं0 278 दिनांक 19.9.2007 निरस्त किया जाता है जिसमें तहसीलदार महवा द्वारा मृतक रघुनाथदास चेला सेवादास महन्त के स्थान पर कैलाशचन्द चेला रघुनाथदास महन्त दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये थे।

2. तहसीलदार (भूमिधारी) महवा को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रश्नगत भूमि को पुनः माफी मंदिर के नाम दर्ज किये जाने हेतु एवं पुजारी सेवादास महन्त का नाम विलोपित किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में रैफरेन्स प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार महवा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 08 मई, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:28:08 IST
Reason: SelfAttested